न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 125/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र जाति खाती निवासी चूंटीसरा तहसील व जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04.03.2020

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) नागौर द्वारा ग्राम चूंटीसरा के नामान्तरकरण सं. 1074 निर्णय दिनांक 15.02.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.04.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम चूंटीसरा के नामान्तरकरण सं. 1074 दिनांक 15.02.2018 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–नामान्तरकरण जैर अपील खिलाफ कानून एवं मौके की स्थिति एवं तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–नामान्तरकरण सं. 1074 जिस आदेश की पालना मे भरा गया। वह आदेश एक विधि सम्मत आदेश की श्रेणी मे नही आता है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर को ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही था तथा उक्त आदेश मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किया गया है तथा आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारान को सुनवायी हेतु कोई नोटिस जारी नही किया गया व बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवायी का अवसर दिये गलत रूप से प्राकृतिक न्याय व विधि के सामान्य सिद्वान्तो एवं विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित किया गया है। ऐसे आदेश की विधि की दृष्टि मे कोई महत्व नही है व न ही ऐसा कोई आदेश विधिक प्रभाव रखता है। ऐसे आदेश के जरिये अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये गये है जबकि विधि मे ऐसा कोई प्रावधान नही है व न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मे ऐसा कोई आदेश पारित करने का प्रावधान ही है। ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित किया गया है। जिसका विधि की दृष्टि मे कोई महत्व नही है। इसलिये ऐसे आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज नही किया जा सकता है। इसलिये भी अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि सम्मत नही होने व विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)–तहसीलदार भू अभिलेख द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित पक्षकारो को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया व न ही किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर ही प्रदान किया है। जबकि विधि अनुसार नामान्तररकण स्वीकृत करने से पूर्व प्रभावित खातेदारान व पक्षकारान को नोटिस देकर विधिवत सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है व न ही मौके पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच ही की गई। जबकि विधि अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके की जांच की जानी व संबंधित पक्षकारो को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। जो विधि का आज्ञापक प्रावधान है। परंतु तहसीलदार भू अभिलेख द्वारा विधि

अपर कलक्टर, नागौर

के आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना करते हुए मौके की स्थिति की जांच किये बिना व बिना सुनवायी किये गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नही है और न ही रास्ता 24 फीट का है। बल्कि 12 फीट चौडा रास्ता है। जहां पर मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। जो मौके पर अपीलार्थी के खेताय मे मौजूद नही है। बल्कि अपीलार्थी के खेत के चिपते ही उत्तरी तरफ स्थित खेत मे मौजूद है। जिसके संबंध मे मौके पर जाकर यदि जांच की जाती तो संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती। परंतु मौके की जांच किये बिना ही गलत रूप से नामान्तररकण स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट गलत रूप से पेश की गई है तथा मौके की जांच किये बिना ही गलत रूप से नामान्तरकरण भरकर पेश किया गया। जिसके संबंध मे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी मौके पर कोई जांच नही की गई व ही स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच की गई है तथा बिना जांच किये ही विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत कर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि को गलत रूप से कम कर दिया तथा नामान्तरकरण विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत शिविर के दौरान रास्ता दर्ज करने का व रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान विधि मे नही दिया गया है। बल्कि धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मे प्रावधान दिया गया है। जिसके अनुसार ही रास्ता दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी नागौर को ऐसा रास्ता स्वीकृत करने का कोई विधिक अधिकार नही था। ऐसा आदेश अवैध आदेश की श्रेणी मे आता है। जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया जा सकता है। फिर भी गलत रूप से एक अवैध आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 1074 दिनांक 15.02.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के आदेश की अनुपालना मे भरा गया है। जो विधिसम्मत है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा चूंटीसरा के नामान्तरकरण सं. 1074 दिनांक 15.02.18 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर की पालना मे नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की पालना मे भरा गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर नागौर

Page 2 of 2